सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फ़ा.सं सीआर-25/सीआर(1)/2020 दिनांक 13.02.2020

नौमनि परिपत्र संख्या 05/2020

विषय : सीफेयरर को जहाज़ पर कार्य करने के लिए उनसे रकम (शुल्क,दान,फीस आदि) मांगने के संबंध में आरपीएसएल कंपनियों को सलाह – संबंधी।

इस महानिदेशालय में बहुत सी शिकायतें मिल रही थी कि आरपीएसएल कंपनियाँ सीफेयरर को जहाज़ पर रोज़गार देने के लिए उनसे रकम की मांग करती है।

2. पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 97 और वाणिज्य पोत परिवहन (आर एंड पी एस) नियम 2016 के नियम 5(1) खंड (i) के अनुसार कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था या सीफेयररों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन इस अधिनियम में अधिकृत शुल्क के अलावा किसी सीफेयरर या कोई व्यक्ति जो सीफेयरर नियुक्त होने आता है, उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न किसी रकम की मांग कर सकता है न ले सकता है।

3. यह उस कंपनी की ज़िम्मेदारी होगी जो सीफेयररों को भर्ती कर रही है या भर्ती करने का प्रस्ताव कर रही है कि वे यह सुनिश्चित करें की सीफेयररों की भर्ती हेतु किसी व्यक्ति, कंपनी, संस्था, सीफेयरर का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन द्वारा न तो कोई रकम (शुल्क,दान,फीस, चंदा) की मांग की जाए और न ही ली जाए।

4. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 और वाणिज्य पोत परिवहन (आर एंड पी एस) नियम 2016 के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन सभी संबंधितों द्वारा सुनिश्चित किए जाने के लिए आरपीएसएल कंपनियां तत्काल प्रभाव से अपने परिसरों में साफ तौर से दिखाई जाने वाली जगहों पर इस परिपत्र के (अनुलग्नक-1) के अनुसार सूचना प्रदर्शित करेंगे।

5. इसे नौवहन महानिदेशक एवं अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुभाष बरगूजर)
उप नौवहन महानिदेशक (क्रू)

अनुलग्नक - I

बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंज़िल, आई थिंक टेक्नो कैम्पस,कांजूर गाँव रोड, कांजूरमार्ग (पूर्व) मुंबई-400042
9th Floor, BETA Building, I-Think Techno Campus, Kanjur Village Road, Kanjurmarg (E), Mumbai-400042
फ़ोन/Tel No.: +91-22-2575 2040/1/2/3 फैक्स/Fax.: +91-22-2575 2029/35 ई-मेल/Email: dgship-dgs@nic.in वैबसाइट/Website: www.dgshipping.gov.in